नाजीर(खा?)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

110/2020/225 श्रीमती रोडी देवी V/S श्रीमती लक्ष्मी व अन्य

तारीख पेशी	2020/00110 हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री सीताराम रावत, एड० अपीलार्थी	

श्रीमती रोड़ी देवी बनाम श्रीमती लक्ष्मी देवी वगैरह

10.8.20

पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र स्थगन पेश हुयी। दिनांक 27.07.2020 को प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष अपीलार्थी /प्रार्थी के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 01से 3/वादीगण ने राजस्व वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत के कथन अंकित किये कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1187 रकबा 4.65 है0 व खसरा नम्बर 1186 रकबा 0.90 है0 वाकै ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद में अवस्थित है। प्रार्थियागण एवं अप्रार्थीगण की सहखातेदारी/सहकाश्तकारी की पुश्तैनी भूमि है। जो अविभाजित सम्पत्ति है जिसमें प्रार्थीगण संख्या 01से 02 के पति/पिता स्वर्गीय फकीरा व प्रार्थीगण संख्या 03 के द्वारा उपरोक्त भूमि पर हर वर्ष काश्त करते आ रहे है तथा प्रार्थीगण संख्या 01 0 2 पति/पिता के निधन के पश्चात उक्त भूमि प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 के ही कब्जे काश्त में चली आ रही है। अप्रार्थी सख्या 02 से 09 द्वारा प्रार्थीगण को कब्जे काश्त की भूमि में हकाई बुआई करने से रोकने में आमादा है एवं खुद स्वंय तरमीमशुदा राजस्व मानचित के अनुसार हकाई बुआई करना चाहते है जिसके कारण अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से रोका जाना अत्यन्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.06.2020 को एक तरफा सुनवाई करते हुए आगामी तारीख पेशी तक रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने एवं प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त में दखलदांजी नहीं करने का आदेश पारित किये है। जिससे व्यथित एवं असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांट ने आगे बहस में कथन किया कि वर्तमान अपीलांट के नाम हाल खसरा नम्बर 1187/2293 रकबा 1.62 है. भूमि रेकार्डेड खातेदारी के रूप में दर्ज हैं तथा भूमि पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा, नसीराबाद का रहन भी अंकन है तथा प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत वाद व प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1187 सिवायचक भूमि तथा किसी प्रकार से मानचित्र में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 30.06.2020 को एक तरफ में आदेश पारित किये है। अपीलांट विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को बिना सुने एक तरफा में जो आदेश पारित किये है वह विधि सम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित आदेश की आड़ में अपीलांट को मौके पर दखल बाधा कारित करते हुए बेदखल करने पर आमादा एवं अग्रसर है। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन व अपूर्तिनीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में है।

न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 30.06.2020 की पालना व प्रभाव का स्थगित फरमाये जाने के आदेश प्रदान करावें अथवा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुए, प्रकरण में अपीलांट को सुनवाई का अवसर देने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावें।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं प्रस्तुत प्रार्थन पत्र व अपीलाधीन आदेश की प्रति व अपील मीमो का अवलोकन किया गया।

अपीलांट का मुख्य कथन यह है कि अपीलांट विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 1187/2293 रकबा 1.62 है0 वाकै ग्राम मण्डियानी तहसील नसीराबाद के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने रिकार्डेड खातेदार को बिना सुने एक तरफा में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लगातार

नकल

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

110/20/225 श्रीमती रोड़ी देवी बनाम श्रीमती लक्ष्मी व अन्य

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	202010110	
	श्री सीताराम रावत, एडवोकेट श्री	
06.11.2020	दिनांक 30.06.2020 को अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी आदेश तक पाबंद किया गया है कि आराजी मुतनाजा के मौके व राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखें। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करें। कोई आपत्ति हो तो आगामी तारीख पेशी पर प्रस्तुत करें। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर अपना पक्ष रखना चाहिए था जो उनके द्वारा नहीं किया गया एवं अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होकर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजी के मौके व राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति देने से अपीलांट को प्रथम दृष्टया किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद साक्ष्य ही किया जाना है। न्यायहित में व पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए अपील को आंशिक स्वीकार कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।	
	अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में अपीलांटस एवं उभयपक्षकारान को सुनवाइ का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर निस्तारण उक्त आदेश से 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	